1. प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रारूप–1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक ....
प्रमाण पत्र क्रमांक .... प्रकरण क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम/नगर ....पटवारी हल्का नं. .... वि.खं. .... तहसील ....जिला ....संभाग ....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.............................पर अंकित है अतः श्री/सुश्री .... पिता/पति का नाम ....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है ।

दिनांक– ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, जैसा कि राज्य षासन द्वारा निर्धारित किया जाय।

   यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी *लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक .... प्रमाण पत्र क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला संभाग .... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो ....जाति के हैं, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा–वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला ....संभाग .... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक .... को प्रवजन कर चुका है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. *क्रीमी लेयर* (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णो की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची में कालम–3 में तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7–26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .... है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

प्रारूप–3 (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

भूतपूर्व मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा स्थायी रूप से निःशक्तता से बाधित
प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक................................. दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (माता/पिता का नाम) ....जो कि .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/कुमारी (छात्र/छात्रा का नाम) .... के पिता/माता है,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे.......................... .....पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक.. था।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौ सेना में .... पद पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से निःशक्तजन हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष .... में हो चुकी है।

स्थान .... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक .... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील सैनिक कल्याण

अधिकारी

प्रारूप–3 (ब)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

भूतपूर्व प्रतिरक्षा कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक........................... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी के माता/पिता नाम) जो कि .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री .... (अभ्यर्थी का नाम) के माता/पिता हैं, भूतपूर्व प्रतिरक्षा कार्मिक है और स्थायी रूप से ....(स्थान) तहसील.......................... ....जिला...छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्थापित है ।

स्थान ....
दिनांक .... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

कार्यालय सील सैनिक कल्याण अधिकारी

प्रारूप–3 (स)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी की संतान हेतु

संदर्भ क्रमांक............................ दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / सुश्री..(अभ्यर्थी के पिता / माता का नाम)जो कि .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री / सुश्री...................................(अभ्यर्थी का नाम) के पिता / माता (जो लागू न हो उसे काट दें) हैं वह थल सेना / वायु सेना / नौसेना में .... ओहदे पर सर्विस क्रमॉक.............................के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं और वह प्रतिरक्षा.........................इकाई में पदस्थ हैं । वे इस इकाई में दिनॉक ....से सेवारत हैं ।

स्थान ....दिनांक ....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील
कमांडिग आफिसर

प्रारूप–4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................................ दिनांक................................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....(अभ्यर्थी का नाम) श्री/सुश्री.. (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री...(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध संतान है। श्री/ सुश्री..(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला....... ....के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमॉक..................... ....पर पंजीकृत है ।

स्थान .... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

दिनांक ....

कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा
प्राधिकृत डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी

पदनाम एवं सील

प्रारूप–5

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

क्रमांक .... दिनांक.............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ....

आत्मज/आत्मजा/पत्नी ....निवासी..

तहसील .... व जिला................................... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है, क्योंकि वह –

1/ निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :–

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह,

   अथवा

   (ख) उसके पालकों में से कोई –

   अथवा

   (ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।
3. उसके पालकों में से कोई भी:–

   (क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है

   अथवा

   (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,
4. (क) वह स्वयं

   अथवा

   (ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है,
6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों अर्थात:–

   (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8 वीं कक्षा की परीक्षा.

   (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडिएट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा.

   (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा,

2/ उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे:–

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(ग) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधिक ";जंजनजवतलद्ध पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान ।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/ अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान ।

3/ उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

प्रारूप–6

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक..........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का/की अभ्यर्थी है श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का की/संतान है,

क– जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में....................................पद पर...........................तिथि से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक हैं ।

अथवा

ख– जो छत्तीसगढ़ शासन के ....विभाग में ....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कार्मिक थे ओर..तिथि से इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए ।

स्थान............................ कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष के

दिनांक.......................... (नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

प्रारूप–7

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ
कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमॉक.................................... दिनॉक..............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है, श्री/सुश्री..........................(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) का/की/संतान है, जो..........................तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित इस कार्यालय.................. स्थान.................................... जिला............................में.....................................पद पर पदस्थ हैं जो

भारत सरकार के...विभाग

अथवा

भारत सरकार के ....सार्वजनिक उपक्रम

अथवा

भारत सरकार के ....अर्धशासकीय निकाय

का / की कार्मिक है ।

स्थान..

दिनॉक.. कार्यालय प्रमुख अथवा विभागाध्यक्ष
के नाम, हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्रारूप–8

छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..जो.............. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है । श्री/सुश्री ....का/की/संतान है, जो.................................. ....योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट
पदनाम एवं सील

प्रारूप–9

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमॉक...................................... दिनॉक...............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री...............................(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) की संतान है जो जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

स्थान... ....

दिनॉक... (हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्रारूप—10

छत्तीसगढ़ के कार्मिक जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर
राज्य में की गई हो की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमॉक.................................. दिनॉक..........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..(अभ्यर्थी का नाम) जो .... पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थियों की स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है, के पिता/माता श्री/सुश्री..छत्तीसगढ़ के कार्मिक हैं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु पदस्थ हैं जिनकी पदस्थापना दिनॉक........................से दिनॉक.................. ..तक ....(स्थान का नाम) जिला.............................में रही है ।

स्थान..
दिनॉक..

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

शासन में विभागाध्यक्ष अधिकारी का नाम,
हस्ताक्षर, पद एवं
विभाग का नाम

प्रारूप–11

न्यायालय तहसीलदार, तहसील.. जिला .... (छत्तीसगढ़)

/ आय प्रमाण–पत्र /

राजस्व प्रकरण कं................ दिनांक..............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पिता श्री .... निवासी ....तहसील .... जिला .... (छ.ग.) का **31 मार्च 2023** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू .... शब्दों में ....रूपये है ।

यह आय प्रमाण पत्र आवेदक के पुत्र/पुत्री/पत्नि.. के लिए जारी किया जाता है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट :

1. यह प्रमाण–पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण–पत्र जारी करें ।
2. सक्षम अधिकारी अन्य प्रारूप में जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त श्रोतों का उल्लेख हो में भी आय प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं ।